यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर के अवधि 04/2016 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री राजा रंजन राव ,श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.02.2019 से 26.02.2019 तक श्री टी. एस. नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर का भौगलिक अधिकार क्षेत्र जनपद बागेश्वर के तीन विकास-खण्डो बागेश्वर, गरुंड एवं कपकोट मे संचालित प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विधालयों मे शिक्षा संबंधी कार्यो का समन्वय एवं क्रियाव्यन तथा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर का कार्यालय का संचालन-व्यय किया जाता है

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद बागेश्वर का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रुपया लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत / समर्पण (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	47.94	43.80	8.33	8.32	-	4.14
2017-18	-	-	47.92	47.48	6.16	6.15	--	0.44
2018-19 (माह 01/2019 तक)	-	-	47.97	36.11	3.70	1.15	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रुपया लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2015-16	जिला योजना	-	-	-	-	-
2016-17		-	122.44	122.44	-	-
2017-18		-	87.96	87.96	-	-
2018-19 (माह 01/2019 तक)		-	169.82	106.87	-	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कार्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर का कार्यालय व्यय-वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक , विधालयी शिक्षा

↓

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 08/2018 & 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1:- Rs 8.43 लाख की पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के उपरांत कार्य अपूर्ण रहना तथा चौदह (14) निर्माण कार्यो के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन भवनो से शिक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति लंबित रहना।

(1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर के अवधि माह 04/2016 से 11/2018 तक के जिला सैक्टर के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा हेतु भवनो के पुनर्निर्माण/ब्रहद मरम्मत/लघु मरम्मत / अन्य मरम्मत संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि विधालयों में सभी निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर के माध्यम से कराये जा रहे है । दो निर्माण कार्य ऐसे थे जिनका प्रारम्भ 11/2016 को किया गया तथा पूर्ण धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी थी लेकिन दो वर्ष व्यतित होने के उपरान्त भी यह कार्य अपूर्ण थे जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि Rs लाख में)

क्रं. सं.	विधालय का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	स्वीकृत लागत	एजेंसी को अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति
1	रा०प्रा०वि० गलई में भवन मरम्मत का निर्माण वि० ख० गरुड वर्ष 2016-17	23-11-16	8.43	8.43	0	8.43	02/19	5%

(2) कार्यालय के अन्य निर्माण कार्यो की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दो(02) तथा 2017-18 के बारह(12) निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था को पूर्ण धनराशि नही उपलब्ध करने के कारण अपूर्ण थे। **(संलग्नक-'क')** यह सभी कार्य एक वर्ष से अपूर्ण थे जिसके कारण इन भवनों में विधार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति नही हो रही है इन निर्माण कार्यों में तीन निर्माण कार्य ऐसे थे जिनमें कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शून्य धनराशि व्यय की गयी थी इन तीनों कार्यों को पूर्ण करने की तिथि माह 06/2019 एवं 02/2019 दर्शाई गयी है उक्त अवधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना क्षीण है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि विधालयों में भूमि का चयन पूर्व में नही किया गया था जिसके कारण संबन्धित विधालयों का निर्माण ससमय निर्माणदायी संस्था द्वारा पूर्ण नही किया गया। तथा कार्यदायी संस्था द्वारा खर्च धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र नियमित नही प्रेषित किए जा रहे है भविष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट का भौतिक निरीक्षण कर जांच जाएगी। इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि जिला सैक्टर की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए जाते रहे है कि कार्यों की प्रगति में आ रही कठिनाइयों का निस्तारण करे तथा कार्यों में तेजी लाते हुए सम्पूर्ण धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करे लेकिन विभाग इन कार्यों को ससमय पूर्ण करने में उदासीन था।

अत :Rs 8.43 लाख की पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के उपरांत कार्य का अपूर्ण रहना तथा चौदह (14) निर्माण कार्यों के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं के कारण इन भवनो से शिक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर 2 :- इकाई द्वारा अशासकीय पूर्व माध्यमिक(जूनियर हाई स्कूल), प्राथमिक /नर्सरी विधालयों की मान्यता की शर्तो के संबंध उत्तराखंड शासन शिक्षा अनुभाग -1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या -623/XXIV(1)/2013-R-467/2011 ,दिनाक -27/06/2013 द्वारा जारी मानको का पालन न करने के सम्बंध मे ।

उत्तराखंड शासन शिक्षा अनुभाग -1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या -623/XXIV(1)/2013-R-467/2011 ,दिनाक -27/06/2013 के विषय –उत्तराखंड ,निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली -2011 के प्रस्तर -17 के अंतर्गत अशासकीय पूर्व माध्यमिक(जूनियर हाइ स्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विधालयों की मान्यता की शर्तो के संबंध मे के बिन्दु (6) मान्यता के मानक (ख) आधार भूत सरचना (1) मे विधालय की मान्यता हेतु स्व घोषणा –सह आवेदन पत्र मे (छ) अन्य सुविधा 01 से 11 के अनुसार (अग्नि से बचाव की व्यवस्था भी आवस्यक हें ।वितत्य वर्ष -2016-17 से 2018-19 की अवधि मे कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर के मान्यता से संबन्धित अभिलेखो की जांच एवं सलग्नक सूची मे उललेखित विधालयों की सूची/ इकाई के अनुसार 08 प्रकरण विधालयों की मान्यता से संबन्धित हें , जिसमे संबिन्धित विधालयों के प्रपत्र 01 को कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर द्वारा अपनी संस्तुति के बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद बागेश्वर कार्यालय को मान्यता प्रदान हेतु प्रेषित किए गए थे । संप्रेक्षा द्वारा इकाई की अभिलेखो की जांच मे पाया गया था की उक्त 08 विधालयों जिनको संप्रेक्षा अवधि मे मान्यता प्रदान की गयी थी उनमे से अधिकांश विधालयों मे विधालयों की मान्यता हेतु स्व घोषणा –सह आवेदन पत्र मे (छ) के साथ आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमार्णपत्र किसी मान्यता प्राप्त अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत करने के उपरांत सल्न्न नहीं पाये गए । तदुनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानको की अनदेखी कर अधोमानक आधार भूत सररचना के आधार पर विधालयों को मान्यता प्रदान किए जाने के दौरान अग्नि के बचाव की व्यवस्था की अन देखी किए जाने से जहा एक और विधार्थियो की जान को जोखिम मे डाला गया था । आगे संप्रेक्षा द्वारा कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर के मान्यता से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया था अधिकांश विधालयों मे विधालयों की मान्यता हेतु स्व घोषणा –सह आवेदन पत्र मे (छ) के साथ विधालयों मे खेल का मैदान होना नहीं पाया गया था , जबकि विधालयों को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु विधालयों मे खेल अनिवार्य था , तदुनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानको की अनदेखी कर अधोमानक आधार भूत सररचना के आधार पर विधालयों को मान्यता प्रदान किए जाने से विधालयों के एसे छात्र –छात्रा खेलो से वंचित हो गए थे जो सरकार की नीति के अनुसार नेशनल/इंटरनेशनल प्रतयोगिता मे देश का नाम रोशन कर सकते थे । उक्त मानको की अनदेखी के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा इस संबंध मे कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिया था जिससे स्पस्ट हें की कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर द्वारा मानको की अनदेखी कर विधालयों को मान्यता अपनी संसूति प्रदान की थी । प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: प्राथमिक विधालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विधालयों मे क्रमश 288(24.10%) एवं 67(16.90%) पद रिक्त रहना

कार्यालय के अवधि माह 04/2016 से 01/2019 तक के जनपद बागेश्वर के अंतर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक / उच्चतर प्राथमिक विधालय मे प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक / शिक्षा मित्र मे स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की जांच मे पाया कि कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्न प्रकार से रिक्त थे-

क्रम संख्या	विधालय	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद(% में)
1	राजकीय प्राथमिक विधालय	प्रधानाध्यापक	462	338	124(26.83)
		सहायक अध्यापक	682	518	164(24.04)
		शिक्षा मित्र	51	51	0(-)
		योग	**1195**	**907**	**288(24.10)**
2	राजकीय उच्चतर प्राथमिक विधालय	प्रधानाध्यापक	30	18	12(40.00)
		सहायक अध्यापक	367	312	55(15.00)
		शिक्षा मित्र	0	0	0(-)
		योग	**397**	**330**	**67(16.90)**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा जैसे महात्वपूर्ण सामाजिक दायित्व के लिए विधालयों मे आवश्यक शिक्षकों की स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राथमिक विधालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विधालयों मे क्रमश 288(24.10%) एवं 67(16.90%) पद रिक्त हैं यह सभी पद विगत एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त है

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हेए उत्तर में कहा कि उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से ही शैक्षिक कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है तथा इस संबंध में उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जायेगा। इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व में प्राथमिक विधालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विधालयों मे क्रमश 288(24.10%) एवं 67(16.90%) पद विगत एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं।

अत: प्राथमिक विधालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विधालयों मे क्रमश 288(24.10%) एवं 67(16.90%) पद रिक्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 :- रु 6809.00 की TDS कटौती न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक के परिशिष्ट -25 मे स्पस्ट प्रविधान हें कि यदि भुगतान किसी आपूर्तिकरता(suppliers)को किया जाता हें तो निर्धारित दर पर **उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटोती अनिवार्य हें एवं As per provisions of section 194 c of Income tax act-1961 2% TAX shall be deducted at source on the sum paid or credit for carrying out work ,when the bill amount exceeds र 30000.00 के तहत suppliers को उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटोती अनिवार्य हें** संप्रेक्षा द्वारा कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर **द्वारा निम्न बिल/वाउचर/मदों मे TDS कटोती नहीं की गयी थी । विवरण निमन्वत हें -**

ORDER no

Invoice no/date	वर्ष	Name ऑफ मद/supplier	Amount
18/03/12/0000441	18-2017	फ़र्निचरर्दिक इंटरनेशनलहा/	42372.00
17/01/19/891	17-2016	फ़र्निचरहार्दिक इंटरनेशनल/	174672.54
17/01/11/847	17-2016	कम्प्युटरहार्दिक / इंटरनेशनल	85714.26
18/01/20/0000324	18-2017	कम्प्युटरहार्दिक / इंटरनेशनल	37686.42
योग			340445.22

इस प्रकार संस्था को उक्त धनराशि पर 2% की दर से र 6809.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर द्वारा उक्त प्रकरण मे आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी का उलंघन कर उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी ।इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया हें कि उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती करके सूचना संप्रेक्षा को भेजी जायगी । सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकि विभाग द्वारा लगभग नियमो से अंजान बनते हुए उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी ।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः**

   -
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.स .	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री आकाश सारस्वत	जिला शिक्षा अधिकारी(शिक्षा .प्रा)	22.09.2015 से 28.12.2017
2	पूनम चौहान	जिला शिक्षा अधिकारी(शिक्षा .प्रा) (प्रभारी)	29.12.2017 से 31.01.2018
3	श्री नरेश शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी(शिक्षा .प्रा) (प्रभारी)	01.02.2018 से 01.04.2018
4	मुहम्मद अकील अंशारी	जिला शिक्षा अधिकारी(शिक्षा .प्रा) (प्रभारी)	02.04.2018 से 02.07.2018
5	श्री नरेश शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी(शिक्षा .प्रा) (प्रभारी)	03.07.2018 से वर्तमान तक

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.स .	नाम	पदनाम	अवधि
1	सुश्री नमिता	वित्त अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)	012016/04/ से 200/8201/6
2	श्री पी० सी० उप्रेती	वित्त अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)	22/08/2016 से 10/09/2018
3	श्री भारत चन्द्र	वित्त अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)	2018/09/10 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)